भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 214

जिसका उत्तर 4 दिसम्बर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया

बैंकिंग क्षेत्र में ऑनलाइन धोखाधड़ी

214. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों को काली सूची में डालने और डिजिटल रूप से धोखाधड़ी की गई राशि को जमा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली के उपयोग को रोकने के लिए धोखाधड़ी संबंधी रजिस्ट्री बनाने पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रजिस्ट्री कब तक कार्य करना शुरू कर देगी;

(ग) क्या इस रजिस्ट्री को अतिशीघ्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (ड.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर), एक वेब-आधारित भुगतान संबंधी धोखाधड़ी रिपोर्टिंग समाधान, को आरबीआई द्वारा 23 मार्च, 2020 से लागू किया गया है। भुगतान संबंधी सभी धोखाधड़ी, जिन्हें विभिन्न भुगतान लिखतों (बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दस्तावेज आधारित लिखतों और पीपीआई) के माध्यम से किया गया तथा अधिकृत भुगतान प्रणालियों के माध्यम से प्रोसेस किया गया, जिनकी सूचना ग्राहक द्वारा या तो जारीकर्ता बैंक/प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ताओं (बैंक अथवा गैर-बैंक) को दी गई है अथवा बैंक/गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा इन्हें अभिचिह्नित किया गया, की सूचना सीपीएफआईआर को दी जानी अपेक्षित है।

*****